Political Hons., Paper VIII (Int. Law)

Paper VIII

Dr. Khalid Hussain

अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान — मुख्य उपाय

(Pacific Settlement of International Disputes — Chief Means)

अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिमय समाधान के लिए परंपरागत रूप से जिन विभिन्न उपायों का सहारा लिया जाता रहा है, वे मुख्यतः पाँच हैं — (i) वार्तालाप (Negotiation), (ii) सत्सेवा एवं मध्यस्थता (Good offices and Mediation), (iii) संराधन (Conciliation), (iv) पंचनिर्णय अथवा विवाचन (Arbitration) तथा (v) न्यायिक समाधान (Judicial Settlement)। इन पाँच उपायों में से प्रथम तीन उपायों अर्थात् वार्तालाप, सत्सेवा एवं मध्यस्थता तथा संराधन को राजनयिक-राजनैतिक उपायों (Politico-Diplomatic methods) की श्रेणी में रखा जा सकता है जबकि विवाचन एवं न्यायिक समाधान को कानूनी प्रक्रिया की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि शांतिपूर्ण समाधान के इन सारे उपायों का उल्लेख UNO के चार्टर (Charter) के छठे अध्याय (Chapter VI) में किया गया है।

वार्तालाप (Negotiation) — अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान का प्रथम एवं सरलतम उपाय वार्तालाप है और सामान्यतः विवादों के पक्ष किसी अन्य उपाय का सहारा लेने के पूर्व इसका सहारा लेते हैं। विवादों के शांतिमय समाधान से सम्बन्धित संधियों में वार्तालाप को शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में पहले कदम के रूप में स्थान दिया जाता है। UN Charter में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के तरीकों में ~~के उल्लेख के समय~~ सर्वप्रथम वार्तालाप का उल्लेख किया गया है।

परन्तु विवादों के वार्तालाप के माध्यम से सफल समाधान के मार्ग में यह बाधा उपस्थित होती है कि कैसे उन तथ्यों को निर्धारित किया जाये जिन्होंने विवाद को जन्म दिया। ऐसे तथ्यों के निर्धारण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जाँच आयोगों (International Commissions of Inquiry) का सहारा लिया जाता है। ब्रिटेन तथा रूस के बीच हुए डॉगर बैंक विवाद (Dogger Bank Case between Britain and Russia) में ऐसे आयोगों की उपादेयता स्पष्ट रूप से सामने आयी।

Scanned with CamScanner

सत्सेवा एवं मध्यस्थता (Good Offices and Mediation) – सत्सेवा एवं मध्यस्थता के बीच अंतर, जैसाकि ब्रियर्ली (Brierly) ने कहा है, महत्वपूर्ण नहीं है। जब कोई तीसरा राज्य विवाद के पक्षों को इसके लिए तैयार करता है कि वे अपने विवाद के समाधान के लिए वार्तालाप करें तो तीसरे पक्ष की ऐसी सेवा को सत्सेवा कहते हैं। वह तीसरा राज्य स्वयं वार्तालाप में भाग नहीं लेता। परन्तु तीसरा राज्य विवाद के पक्षों के बीच वार्तालाप कराते समय स्वयं उसमें भाग लेता है तो उसकी सेवा को मध्यस्थता की संज्ञा दी जाती है।

सत्सेवा या मध्यस्थता विवाद के पक्षों के अनुरोध पर या अपने उपक्रम पर प्रदान की जा सकती है। इन दोनों प्रकार की सेवा की प्रकृति अनन्य रूप से सलाह की होती है, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में उनकी उपयोगी भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता, चाहे ऐसी सेवा युद्ध के पूर्व प्रदान की जाए या बाद में। Dogger Bank Case में फ्रांस की मध्यस्थता के चलते ही रूस तथा इंगलैण्ड के बीच युद्ध की संभावना को टाला जा सका। 1966 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच ताशकन्द समझौता रूस की सत्सेवा से सम्पन्न हो सका। 1979 में मिस्र (Egypt) तथा इजरायल (Israel) के बीच Camp David Accord (कैम्प डेविड समझौता) तथा Gulf crisis (खाड़ी-संकट) के पश्चात पश्चिमी एशिया शांति समझौते के प्रयासों में विशेष रूप से अमेरिकी भूमिका मध्यस्थता का नवीनतम उदाहरण कही जा सकती है।

संराधन (Conciliation) – संराधन विवाद के समाधान की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत विवाद को कुछ व्यक्तियों के आयोग को सौंप दिया जाता है और उस आयोग का यह कार्य होता है कि वह विवाद के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसके समाधान के कुछ प्रस्ताव रखे। परन्तु ये प्रस्ताव किसी विवाचन (Arbitration) अथवा अदालती निर्णय (Judicial Decision)

जैसी बाध्यकारी प्रकृति (binding character) के नहीं होते।

बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा विवादों के समाधान के लिए जाँच अथवा विचार आयोगों (Conciliation Commissions) की व्यवस्था की जाती है। 1925 की लोकार्नो की संधियों (Locarno Treaties) ~~विवाद~~ द्वारा विचार आयोगों की व्यवस्था की गई। यों तो वर्तमान समय में ऐसे करीब 200 conciliation commissions (विचार आयोग) अस्तित्व में हैं, परन्तु इन का प्रयोग बहुत कम हुआ है और इनके द्वारा विवादों के समाधान के बहुत ही कम उदाहरण मिलते हैं।

विवाचन (Arbitration) – विवाचन का तात्पर्य विवाद के पक्षों द्वारा चुने हुए, एक या एक से अधिक पंचों के न्यायाधिकरण के द्वारा विवाद के कानूनी निर्णय से है। पंचों का यह न्यायाधिकरण अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से भिन्न होता है। ~~यों तो पंचनिर्णय तथा न्यायिक समाधान दोनों कानूनी समाधान के ही तरीके हैं क्योंकि विवाचन~~ इस अर्थ में न्यायिक समाधान से भिन्न होता है कि पंचों (विवाचकों) का चयन विवाद के पक्षों द्वारा होता है और उनका कार्य विवाद विशेष में निर्णय देने के पश्चात समाप्त हो जाता है, जबकि न्यायिक समाधान में ऐसा नहीं होता। फिर भी जहाँ तक विवाद के पक्षों का प्रश्न है, वे विवाचन के माध्यम से भी उतना संतोषजनक निर्णय पा सकते हैं जितना कि न्यायिक समाधान के माध्यम से। यदि विवाद के समाधान के लिए कानून की जानकारी से अधिक विशेष तकनीकी जानकारी की आवश्यकता हो तो वैसी स्थिति में विशेष तकनीकी जानकारी रखने वाले पंच विवाद के निर्णय के लिए न्यायालय के जजों से अधिक उपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं।

पंचनिर्णय के तरीके का एक लम्बा इतिहास है। स्थाई अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (Permanent Court of International Justice – P.C.I.J.) की स्थापना के पूर्व तक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रधान तरीका था। आधुनिक राज्य व्यवस्था (Modern State System) के उदय के पश्चात इसका प्रयोग काफी कम हो गया था, परन्तु 19 वीं सदी के अन्त में विशेष रूप से अमेरिका तथा ब्रिटेन के बीच के नार्वे के दावे सम्बन्धी मामले (~~A Norwegian~~ Alabama Claims

Scanned with CamScanner

Case between the United States and Britain) के विवाचन के लिए सौंपे जाने के बाद इस का इस्तेमाल फिर से बढ़ गया। 1899 के प्रथम हेग कन्वेंशन (First Hague Convention) द्वारा एक स्थाई विवाचन न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) की स्थापना ~~की~~ की गई। 1910 के उत्तरी अटलांटिक मत्स्यक्षेत्र सम्बन्धी मामले (North Atlantic Fisheries Case) सहित अन्य कई महत्वपूर्ण विवादों का समाधान इसके द्वारा किया जा चुका है।

प्रायः विवाचन विवाद के पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है, परन्तु कभी-कभी कुछ आधारों पर विवाचन निर्णय को मानने से ~~मना~~ झगड़े का कोई पक्ष इंकार कर देता है। ~~ऐसे आधारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार विवाचकों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण (Excess of Jurisdiction) का आधार सबसे सामान्य आधार~~ है। सामान्यतः पंचनिर्णय को अस्वीकार यह आरोप लगाकर किया जाता है कि निर्णय देने में पंचों ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। जैसा कि Brierly ने कहा है, "International law does not yet provide any means of ~~determining~~ determining whether the allegation is or is not well-founded." (अन्तर्राष्ट्रीय कानून ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करता जिससे यह निर्धारित ~~हो सके~~ किया जा सके कि ऐसे आरोप का कोई आधार है अथवा वह निराधार है।")

न्यायिक समाधान (Judicial Settlement)- विवादों का न्यायिक समाधान उचित रूप से गठित ~~अन्तर~~ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से होता है, जो कानून के नियमों को लागू करता है। ~~राष्ट्र संघ~~ राष्ट्र संघ (League of Nations) के काल में स्थाई अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (Permanent Court of International Justice) तथा UNO के Charter (चार्टर) द्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) विवादों के न्यायिक समाधान के प्रधान अभिकरण

Scanned with CamScanner

रहे हैं। कुछ भिन्नता के होते हुए भी वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय अधिकांश मामलों में पुराने स्थाई अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (P.C.I.J.) से मिलता जुलता है और (अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (I.C.J.) की संविधि (Statute) थोड़े मोड़ संशोधन के साथ वही है जो P.C.I.J. की संविधि थी।

I.C.J. के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, परन्तु उसके द्वारा सुरक्षा परिषद अथवा साधारण सभा अथवा UNO के अन्य किसी अंग या विशिष्ट अभिकरण को दिया जाने वाला परामर्श बाध्यकारी नहीं होता। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय का कार्यकरण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रभावों से मुक्त नहीं रहा है, इसलिए न्यायालय विवादों के समाधान में उस हद तक उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ है जिस हद तक इसे उपयोगी सिद्ध होना चाहिए था। अक्सर छोटे-मोटे बहाने बनाकर राज्य I.C.J. के निर्णयों को मानने से इंकार कर देते हैं। फिर भी Corfu Channel Case (कार्फ्यू चैनल केस), Anglo-Iranian Oil Company Case (आंग्ल-ईरानी तेल कंपनी केस) आदि मामलों में I.C.J. के निर्णय स्वीकार किए गए हैं। ये निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में, I.C.J का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान यह रहा है कि इसने अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्पष्टीकरण तथा विकास (Clarification and development of International Law) में काफी सराहनीय भूमिका निभाई है।

Scanned with CamScanner